REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240209 CG-DL-E-11112022-240209

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5028] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944 No. 5028] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

का.आ. 5247(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) और (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त अधिनियम की अनुसूची में नई क्रम संख्या, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण उक्त तालिका के कॉलम क्रमशः (1), (2) और (3) में यथानिर्दिष्टानुसार माना जाएगा।

क्र.सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
625	913	अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोमडिला के पास रारा-13 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर नाफरा, डिब्रिक, सचुंग, लाडा, सरली, हुरी, पारसी पारलो, ताली, तलिहा, टाटो, बिले, मिगिंग, टुटिंग, जिदो, सिंघा, एनेल्ये [मौजूदा रारा-313 के आरज़ू (एनेल्ये) से इथुन पुल (हुनली) तक को ओवरलैप करता है] हुनली, खुपा, ह्युलियांग,

चेनक्वेंटी, हवाई [मौजूदा रारा-113 के खुपा से हवाई तक को ओवरलैप करता है],
मियाओ, देबन, रामनगर को जोड़ने वाला और विजयनगर में समाप्त होने वाला
राजमार्ग, जिसमें टाटो के निकट अपने जंक्शन से शुरू होकर मोनिगोंग को जोड़ते हुए
उस पर समाप्त होने वाला स्पर और मियाओ के पास अपने जंक्शन से शुरू होने वाला
तथा खारसांग के पास रारा-215 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला स्पर शामिल है।

पाद टिप्पण:-राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची को अधिसूचना संख्या का.आ.689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया और भारत के राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल, 2011 में प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 4743 (अ), दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/20/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

S.O. 5247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

	Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
ſ	(1)	(2)	(3)
	625	913	The highway starting from its junction with NH-13 near Bomdila connecting Nafra, Dibrick, Sachung, Lada, Sarli, Huri, Parsi Parlo, Tali, Taliha, Tato, Bile, Migging, Tuting, Jido, Singha, Anelye, [overlaping existing NH-313 from Arzoo (Anelye) to Ithun Bridge (Hunli)] Hunli, Khupa, Hayuliang, Chenquenty, Hawai [Overlaping existing NH-113 from Khupa to Hawai], Miao, Deban, Ramnagar and terminating at Vijaynagar. including spur starting from its junction near Tato connecting and terminating at Monigong and another spur starting from its junction near Miao and terminating at junction of NH-215 near Kharsang in the State of Arunachal Pradesh.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4^{th} April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4^{th} April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 4743 (E), dated 6^{th} October, 2022.

[F. No. NH-14012/20/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director